अध्याय – VI

पुरावस्तुओं का प्रबंधन

कोई सिक्का, मूर्ति, चित्र, पुरालेख अथवा कला या शिल्प कौशल की अन्य वस्तुएं, किसी भवन या गुफा से असंलग्न कोई वस्तु, पदार्थ या प्रवस्तु जो ऐतिहासिक अभिरूचि की हो अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पुरावस्तु, जो सौ वर्षों से कम पुराने न हो से पुरावस्तुओं में सम्मिलित होते है। इसमें कोई हस्तलेख, अभिलेख अथवा अन्य प्रलेख जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक अथवा सौन्दर्य-शास्त्रीय मूल्य के हों और जो कम से कम जिसका 75 वर्ष पुराने हो, भी शामिल है।

भा.पु.स. भारत में पुरावस्तुओं के सबसे बड़े संग्रहकों में से एक है। इसके अलावा, देश भर में विभिन्न संग्रहालयों द्वारा पुरावस्तु अर्जित एवं अनुरक्षित किये जाते है। भा.पु.स. उत्खननों के दौरान प्राप्त पुरावस्तुओं के प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है। ये बहुधा कार्य-स्थल संग्रहालयों में प्रदर्शित किये जाते है। भा.पु.स. निजी व्यक्तियों तथा संगठनों के अधीन पुरावस्तुओं के पंजीकरण हेतु भी जिम्मेदार है। इसमें चोरी गये कलाकृतियों को ढूंढने के प्रयास भी सिम्मिलित है।

6.1 नीति एवं विधान की अपर्याप्तता

6.1.1 मानकों एवं नीति निर्देशों का अभाव

मंत्रालय के पास पुरावस्तुओं के प्रबंधन हेतु कोई समग्र नीति नहीं थी। वस्तुओं के अधिग्रहण, परिरक्षण एवं प्रलेखन हेतु कोई मानक नहीं थे।



गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, दिल्ली में रखे पुरावस्तुओं के ट्रंक



सफदरजंग मकबरे में रखे पुरावस्तु

⁴⁶ पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972

किसी संग्रहालय में पुरावस्तुओं के प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद एवं यूनेस्को द्वारा जारी किये गये अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानक उपलब्ध है। ये मानक एवं दिशानिर्देश संग्रहालय के परिचालन, परिग्रहन संख्याओं के उपयोग, संग्रहालयों के में आपदा तैयारी आदि की क्रिया विधि को स्पष्टतः परिभाषित करते है। तथापि, सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं अथवा मानकों को नहीं अपनाया गया । किसी मानक के अभाव में लिये गये निर्णयों में बहुधा वस्तुनिष्ठता, एकरूपता तथा पारदर्शिता का अभाव था जिसका विवरण आगे के पैरों में किया गया है।

पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम व्यक्तिगत एवं निजी संग्रहों के पुरावस्तुओं के पंजीकरण का प्रावधान करता था। तथापि पंजीकरण को अनिवार्य नहीं किया गया था। यह अधूरे प्रलेखन में परिणत हुआ और चोरी गये तथा खो गये पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति में भी बाधक बना।

6.1.2 पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की समीक्षा

हमने देखा कि भा.पु.स. एवं मंत्रालय, पु.ब.कला. अधिनियम, 1972 में संशोधन की आवश्यकता के प्रति 1987 सचेत थे। इस विषय में मंत्रालय ने 1997 में एक संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ की। मंत्रिमंडल द्वारा 2003 में एक मसौदा कैबिनेट नोट भी अनुमोदित किया गया था। तथापि, संशोधन अभी भी मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन था। इस प्रकार, कलाकृतियों के अवैध निर्यात एवं तस्करी को रोकने में कानून की सीमाएं बनी रही। मंत्रालय ने इस कार्य हेतु किसी प्रकार की प्रथमिकता तय नहीं की और इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

अनुशंसाएं 6.1: पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों की, कानून को अधिक समसामयिक एवं प्रभावी बनाने के लिए तथा चुरायी गयी कलाकृतियों को अन्य देशों से सुगमता पूर्वक वापसी के उद्देश्य हेतु समीक्षा करनी चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में प्रस्तावित संशोधन मंत्रालय द्वारा सक्रिय विचाराधीन थे।

6.2 पुरावस्तुओं का अधिग्रहण, पंजीकरण एवं प्रलेखन

6.2.1 अधिग्रहण

भा.पु.स. एवं अन्य संग्रहालयों द्वारा पुरावस्तुओं के अधिग्रहण निम्नलिखित माध्यम से प्रभावशील होते हैः

(i) पुरातत्व स्थलों के सर्वेक्षण, खोज एवं उत्खनन के दौरान पुरावस्तुओं का संग्रहण;

- (ii) सीधी खरीद;
- (iii) उपहार के माध्यम से;
- (iv) ऋण के माध्यम से; तथा
- (v) पुरावस्तुओं का अनिवार्य अधिग्रहण

भा.पु.स. ने पुरावस्तुओं की प्राप्ति मुख्यतः सर्वेक्षण, खोज तथा पुरातत्व उत्खननों के माध्यम से की थी। भा.पु.स. ने पुरातत्वों स्थलों के सर्वेक्षण, खोजों तथा उत्खननों के दौरान एकत्रित पुरावस्तुओं के भंडारण हेतु 1960 में केन्द्रीय पुरावस्तु संग्रह (के.पु.स.) की स्थापना की थी। वर्तमान में पुराना किला, दिल्ली से कार्यरत, के.पु.स. देश के विभिन्न भागों से खोजे गए एवं उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के पात्रों एवं पुराशेषों का एक समृद्ध भंडार था। हमने देखा कि के.पु.स. के पुरावस्तुओं का अधिग्रहण, प्रलेखन, भंडारण स्थितियां, प्रत्यक्ष सत्यापन एवं सुरक्षा पूरी तरह अपर्याप्त था।

केन्द्रीय पुरावस्तु संग्रह की कलाकृतियाँ चारो अलग स्थानों पर फैली और बिखरी हुई थीं। समुचित प्रलेखन के अभाव में विशिष्ट कलाकृतियों की अवस्थिति को सुनिश्चित करना संभव नहीं था।

पुराना किला और सफदरजंग मकबरे में रखे गये केन्द्रीय पुरावस्तु संग्रह के पुरावस्तुओं की भण्डारण स्थिति खेदजनक थी जैसाकि नीचे की तस्वीरों में स्पष्ट है:





पुराना किला में रखे गये पुरावस्तुओं की अनुपयुक्त स्थिति





अनुपयुक्त स्थिति में सफदरजंग मकबरे में पुरावशेष

6.2.2 पुरावस्तुओं का अनिवार्य अधिग्रहण

भा.पु.स. के पास पुरावस्तुओं को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करने की शक्ति थी परंतु अभी तक कोई भी पुरावस्तु अनिवार्य रूप से अधिगृहित नहीं किये गये थे। पुरावस्तुओं के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के प्रोत्साहन की भी योजनाएं नहीं थीं।

6.2.3 संग्रहालयों द्वारा कलाकृतियों का अधिग्रहण

संग्रहालयों ने कलाकृतियों को खरीद एवं उपहार के माध्यम से अर्जित किया था। कलाकृतियों के अधिग्रहण एवं मूल्यांकन हेतु किसी प्रकार के मानकों या मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था। संग्रहालयों ने कलाकृतियों के अधिग्रहण एवं मूल्यांकन हेतु कोई स्थिर नीति निर्धारित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप, अधिग्रहण से संबंधित निर्णय अधिकतर मनमाने थे। हमने देखा कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वि.मे.हॉ.), सालारजंग संग्रहालय तथा राष्ट्रीय संग्रहालय ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कोई कलाकृति नहीं खरीदी थी।

विगत पाँच वर्षों के दौरान संग्रहालयों द्वारा किये गये अधिग्रहण निम्नवत में थे:

तालिका 6.1: विगत पाँच वर्षों के दौरान अधिग्रहण

संग्रहालय	अर्जित वस्तुएं	टिप्पणियाँ
राष्ट्रीय संग्रहालय (रा.सं.)	शून्य	कला खरीद/अधिग्रहण समिति 1997 से ही निष्क्रिय थी।
एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता (ए.सो.को)	29	कला खरीद समिति के माध्यम से खरीद की गयी थी जो प्रत्येक दो वर्षों में गठित होती थी।
इलाहाबाद संग्रहालय (इ.सं.)	394	अधिग्रहण हेतु नीति का अभाव
सालार जंग संग्रहालय (सा.ज.सं.)	शून्य	संग्रहालय ने कलाकृतियों की आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया था।
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वि.मे.हॉ.)	शून्य	कला खरीद समिति को अंतिम रूप न दिया जाना
भारतीय संग्रहालय (भा.सं.)	166	खरीद हेतु कोई मानक प्रणाली नहीं।

अनुशंसाएं 6.2: संस्थाओं को कलाकृतियों के अधिग्रहण हेतु सुसंगत अधिग्रहण नीति विकसित करनी चाहिए।

मंत्रालय ने (मई 2013) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

6.2.4 वि.मे.हॉ. द्वारा ऋण पर प्राप्त किये गये चित्र

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ने लगभग 5000 चित्रों के अधिग्रहण हेतु रविन्द्र भारती सोसायटी (र.भा.सो.), जो पश्चिम बंगाल की एक पंजीकृत सोसायटी है, से अनुबंध (दिसम्बर 2007) किया था।

हमने देखा कि 5000 चित्रों में से केवल 878 चित्रों की स्थिति-रिपोर्ट ही अब तक (नवंबर 2012) पूरी की गई थी और अब तक कोई संरक्षण कार्य शुरू नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, इन चित्रों की समुचित संरक्षण पूरा नहीं हो सका।

6.2.5 उपहार स्वरूप पुरावस्तुओं का अधिग्रहण

संग्रहालयों ने सुरक्षित संरक्षण हेतु उपहार एवं वस्तुओं को स्वीकार किया था। हमने देखा कि कई संग्रहालयों (नामतः रा.सं., भा.सं., ए.सो.को.) के पास उपहारों की स्वीकृति एवं मूल्यांकन हेतु कोई नीति नहीं थी। यहाँ तक कि कार्य-स्थल संग्रहालयों में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी कि

क्या कार्य-स्थल संग्रहालय पुरावस्तुओं को प्राप्त कर सकते थे और उपहार के रूप में प्रस्तावित वस्तुओं के चयन हेतु कोई मानक नहीं था।

लेखापरीक्षा अविध के दौरान, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली ने उपहार के रूप में 906 कलाकृतियाँ प्राप्त की थी। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा उपहारों की प्राप्ति के कुछ मामलों के विवरण नीचे दिये गये हैं:

- (i) भारतीय संग्रहालय ने 2010 और 2011 में क्रमशः 'कछोआ सितार', फूलों के डिजाइन से सजी 'कत्थई किनारे वाली टसर साड़ी', तथा 'सफेद धागे से कढ़ाई की हुई फूलों के डिजाइन वाली दोराखा लाल सुजनी या रजाई' उपहार स्वरूप प्राप्त की थी। तथापि, उनकी प्रामाणिकता से संबंधित कोई अभिलेख हमें उपलब्ध नहीं कराये जा सके।
- (ii) अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 10 कार्य स्थल संग्रहालयों ने उपहार/खरीद/ऋण आदि के माध्यम से 7203 कलाकृतियों को बगैर रासायनिक/वैज्ञानिक सत्यापन के प्राप्त किया था।
 - भा.पु.सं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि अधिग्रहण/उपहार से कोई क्षिति/ अनियमितता नहीं होनी थी। यदि वस्तु, पुरावस्तु न भी हो, तब भी इससे कार्य-स्थल के प्रदर्शन में सहायता मिलती है। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यह स्थापित किये बगैर कि ये पुरावस्तुएं थीं, कैसे इस प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण और उनका प्रदर्शन किया जा रहा था।
- (iii) केन्द्रीय पुरावस्तु संग्रह के संग्रहण में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा-शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जब्त एवं अभिहृत 3979 पुरावस्तुएं शामिल हैं। इन पुरावस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस करने या उन्हें उपयुक्त संग्रहालय में रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

अनुशंसाएं 6.3: संग्रहालयों को उपहार में प्राप्त कलाकृतियों के सुरक्षित रख-रखाव हेतु एक तंत्र विकसित करना चाहिए और उपहारों को उनके पुरावशेषीय-स्थिति स्थापित करने के उपरांत स्वीकार करने तथा उनके समुचित स्थलों या संग्रहालयों में प्रदर्शन हेतु एक नीति बनानी चाहिए।

मंत्रालय ने (मई 2013) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अनुपालना हेतु स्वीकार कर लिया।

6.3 पुरावस्तुओं का पंजीकरण

पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अनुसार केन्द्र सरकार यह निर्धारित करेगी कि किन पुरावस्तुओं को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कलाकृतियों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त अधिनियम

प्रावधान करता है कि केन्द्र सरकार अधिनियम के प्रयोजन हेतु पंजीकरण अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावस्तु मिशन के अनुसार, देश में लगभग 70 लाख पुरावस्तुएं थे।

इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई लक्ष्य तथा समयसीमा नहीं थी। कार्य की प्रगति की मानीटरिंग भा.पु.स. अथवा मंत्रालय, किसी के द्वारा नहीं हो रही थी। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण की प्रक्रिया वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित नहीं थी बल्कि खुली आँखों पर आश्रित थी।

अनुशंसाएं 6.4: मंत्रालय को पुरावस्तुओं के पंजीकरण के कार्य में तेजी लानी चाहिए और पंजीकृत पुरावशेषों की प्रामाणिकता को एक समय बद्ध प्रणाली में सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बनानी चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप पर विचार किया जा सकता है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि अब तक 4.8 लाख पुरावस्तु पंजीकृत हो चुके थे और पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई लक्ष्य एवं समय-सीमा तय नहीं किया जा सका था, चूंकि प्रत्येक वर्ष और अधिक वस्तुएं पुरावस्तु की श्रेणी में आ रही थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लक्ष्यों एवं समय-सीमा को प्रत्येक वर्ष पंजीकृत होने वाले पुरावस्तुओं के प्राक्कलन अथवा उनकी पूर्ण संख्या के आधार पर तय किया जा सकता है।

6.4 प्राप्त वस्तुओं का मूल्यांकन

हमने पाया कि भा.सं., रा.सं. तथा ए.सो.को. के पास संग्रहालयों द्वारा प्राप्त/के अधीन कलाकृतियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्राप्त वस्तुओं के मूल्यांकन हेतु कोई निर्धारित प्रणाली नहीं थी। इसलिए हम संग्रहालयों में कलाकृतियों की प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार का आश्वासन प्राप्त नहीं कर सके। भारतीय संग्रहालय ने एक चाँदी का सिक्का प्राप्त किया था जिसके मूल्यांकन के बाद वह ताँबे का सिक्का निकला।



संरक्षण पूर्व (चाँदी)

संरक्षण के बाद (ताँबा)

सर्वोत्तम प्रथाएं:

छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय उपहार स्वरूप वस्तुओं/कलाकृतियों की प्राप्ति में था। संग्रहालय में वस्तुओं/कलाकृतियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की क्रिया-विधि थी। वस्तुओं को शुरूआत में संग्रहालयाध्यक्ष द्वारा परीक्षित किया जाता था और तदुपरांत उस क्षेत्र के विशेषज्ञों वाली प्रदर्शनी मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाता था तथा अंततः न्यासियों के एक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता था।

अनुशंसाएं 6.5: संग्रहालयों को कला वस्तुओं की प्रामाणिकता के मूल्यांकन हेतु एक नीति विकसित करनी चाहिए।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार (मई 2013) कर लिया था।

6.5 कला वस्तुओं की वस्तु सूची एवं क्रम-स्थापन

6.5.1 कला वस्तुओं का परिग्रहण

संग्रहालयों में सभी पुरावस्तुओं को प्राप्ति के साथ-साथ समुचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। प्रत्येक पुरावस्तु की एक अलग विशिष्ट परिग्रहण संख्या हो जो परिग्रहण का वर्ष भी दर्शाती है। परिग्रहण रिजस्टर का उपयुक्त एवं नियमित अनुरक्षण संग्रहालय वस्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आवश्यक है।

हालांकि, हमने देखा कि परिग्रहण रजिस्टरों के अनुरक्षण के संबंध में कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। फलस्वरूप, संग्रहालय कलाकृतियों के परिग्रहण हेतु विभिन्न पद्धतियों को अपना रहे थे जिसे अनुबंध-6.1 में देखा जा सकता है।

6.6 पुरावस्तुओं की संख्या में विसंगतियां

हमने भारतीय संग्रहालय तथा राष्ट्रीय संग्रहालय के पास मौजूद पुरावशेषों की संख्या में उल्लेखनीय विसंगतियां देखी थीं, जिनका नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 6.2 भारतीय संग्रहालय में कलाकृतियों की संख्या में विसंगतियां

संग्रहालय के उत्तर के	संग्रहालय के डाटाबेस के	परिग्रहण रजिस्टरों के
अनुसार कलाकृतियां	अनुसार कलाकृतियां	अनुसार कलाकृतियां
107308	114271	94462

विशेषज्ञ समिति	विशेषज्ञ समिति को	समिति की	जुलाई 2011 में	सितम्बर 2011 में
को अप्रैल 1999 में	सितम्बर 2003 में		लेखापरीक्षा को	लेखापरीक्षा को
उपलब्ध करायी	उपलब्ध करायी गई		प्रस्तुत की गई	प्रस्तुत की गई
गयी सूचना	सूचना		सुचना	सूचना
205375	206121	206713	206212	205981

तालिका 6.3 राष्ट्रीय संग्रहालय में कलाकृतियों की संख्या में विसंगतियां

एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के मामले में इसके पास मौजूद सोने के सिक्कों के संबंध में इसी प्रकार की विसंगति देखी गयी थी।

6.7 कलाकृतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

कलाकृतियों का आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन उनकी मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए और पुरावस्तुओं की अवस्था के आकलन के लिए भी आवश्यक था। विभिन्न संग्रहालयों में पुरावस्तुओं के प्रत्यक्ष सत्यापन की स्थिति बहुत खराब थी जैसाकि अनुबंध-6.2 में विवरण दिया गया है।

6.8 पुरावस्तुओं का संरक्षण

पुरावशेषों का परिरक्षण एवं संरक्षण संग्रहालयों के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था। इस गतिविधि में अनेक खामियां थीं, जैसाकि निम्नलिखित मामलों में देखा गया है:

भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में गंधार स्तूप कई वर्षों से क्षयशील था परंतु पुरातत्व अनुभाग द्वारा 2008 में देखा गया था। तथापि, स्तूप के संरक्षण हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया था। संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु किसी नीति की अनुपस्थिति कलाकृतियों के क्षय का कारण बनी।

संग्रहालय द्वारा 1998-99 में ₹7.37 लाख की लागत पर प्राप्त की गयी एक चलायमान संरक्षण प्रयोगशाला लगभग बेकार पड़ी रही।

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के पास योग्यता-प्राप्त रासायनज्ञ वाली एक संरक्षण प्रयोगशाला थी। यह संग्रहालय राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन में मौजूद संग्रहालयों जैसे अनेक लघु संग्रहालयों की वस्तुओं को भी संरक्षित करता है। लखनऊ में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के बाद, इस संग्रहालय की प्रयोगशाला ने संरक्षण अनुसंधान की गतिविधियों को बंद कर दिया था। हमने देखा कि प्रयोगशाला प्रतिवर्ष संग्रहालय के कुल पुरावशेषों का केवल 0.25 प्रतिशत ही संरक्षित कर रहा था। 2007-12 के दौरान, प्रयोगशाला द्वारा 2.06 लाख में से केवल 2272 वस्तुओं का ही निदान एवं संरक्षण किया गया था।





संरक्षण प्रयोगशाला में विगत 45 वर्षों से पड़ी औरेल स्टेन संग्रह की वस्तुएं

हमने देखा कि **एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता** में लगभग 40 *प्रतिशत* पाण्डुलिपियां खराब स्थिति में थीं और उन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता थी। अधिकतर मामलों में, संरक्षण हेतु प्राप्त की गयी वस्तुएं इतनी क्षतिग्रस्त थीं कि उनका नवीकरण नहीं हो सकता था।

एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता में तैल चित्रों का नवीकरण

एशियाटिक सोसायटी में संरक्षण प्रयोगशाला मुख्यतः दुर्लभ पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों के नवीकरण में संलग्न थी। एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के पास 78 तैल चित्र थे। 2005-06 में इन चित्रों के नवीकरण का कार्य नोएडा स्थित एक एजेंसी को सौंपा गया था। मनमाने ढंग से चयनित इस एजेंसी द्वारा 60 चित्रों का दस चरणों में (प्रत्येक चरण में 6) नवीकरण प्रस्तावित था। तथापि, जून 2012 तक केवल 26 चित्रों का ही नवीकरण किया गया था।

इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद में संरक्षण हेतु प्राप्त वस्तुओं में 1.80 *प्रतिशत* से 23.54 *प्रतिशत* तक संरक्षण कार्य शुरू किया गया था।

सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में 136 भारतीय आधुनिक चित्रों को सितम्बर 2008 से भण्डार-गृह में रखा गया था और उन्हें समुचित रूप से संरक्षित नहीं किया गया था, उन पर धूल जम गयी थी जिसके कारण उन्हें क्षति पहुँच सकती थी।


संग्रहालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2012) में बताया कि चित्रों को इस दशा में इसलिए रखा गया था क्योंकि जगह की कमी थी और भीड़भाड़ से रोलर अस्थिर हो जाएगा। तथ्य यही हैं कि चित्रों के समुचित परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तत्काल आवरण तथा सुविधाजनक रोलरों में टांगने की आवश्यकता थी।

सर्वोत्तम प्रथाएं:

छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इसके अधीन सभी वस्तुओं का संरक्षण कार्य करने के लिए नियमित सर्वेक्षण करता है। ये सर्वेक्षण आवर्तन द्वारा दोहराये जाते थे। कलाकृतियों को उनकी दशा के अनुसार वर्गीकृत किया गया था और उपचार हेतु प्राथमिकता प्रदान की गयी थी। संग्रहालय केन्द्र वस्तु रजिस्टर में उपचार हेतु वस्तुओं की प्राप्ति और वापसी के क्रम को कालानुक्रमानुसार रखा गया था।

कार्य-स्थल संग्रहालयों में पुरावस्तुओं के नवीकरण तथा संरक्षण हेतु कोई संरक्षण स्कंध नहीं था। संग्रहालय ने वीथियों और भण्डारों में रखी कलाकृतियों की आवधिक रूप से अवस्था तय करने के लिए कोई योजना नहीं बनायी थी।

हजारद्वारी महल संग्रहालय (ह.दु.म.सं.), कोलकाता परिमण्डल, की वीथि में प्रदर्शित 179 चित्रों मे से, 55 चित्र क्षतिग्रस्त स्थिति में थे। भण्डार में रखे गये 318 में से 302 चित्र भी क्षतिग्रस्त थे तथा 30 चित्रों के तत्काल संरक्षण/नवीकरण की आवश्यकता थी। ह.दु.म.सं. में 77 अरबी पाण्डिलिपियों में से 36 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं और 760 फारसी पाण्डुलिपियां भी खराब दशा में थीं। हजारद्वारी महल संग्रहालय ने पाण्डुलिपियों पर जिल्द चढ़ाकर उन्हें और भी खराब कर दिया था।





हजारद्वारी महल संग्रहालय में पाण्डुलिपियों की दशा

अनुशंसाएं 6.6: संग्रहालय को नवीकरण/संरक्षण की जरूरत वाली कला वस्तुओं की पहचान करने के लिए समुचित तंत्र विकसित करना चाहिए और उनके नवीकरण हेतु कार्यक्रम बनाना चाहिए।

6.9 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान संग्रहालयों के प्रमुख कार्यों में से एक है, जिसके द्वारा संग्रह की गई सामग्रियों एवं वस्तुओं के बारे में विभिन्न हितधारकों को उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध करायी जा सकती है।

विदेशों में सर्वोत्तम प्रथाएं: विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन

संग्रहालय विश्व भर में सहयोगियों के साथ अपने अनुभव बाँटता है और वाह्य संस्थाओं के अनेक सहभागिताओं से भी लाभ प्राप्त करता है। यह संरक्षण एवं संरक्षण विज्ञान में ईटर्नशिप तथा कार्य नियुक्तियों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं विकास भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सहभागिता परियोजनाएं भी नियमित आधार पर चलाई जा रही है।

ब्रिटिश संग्रहालय

संग्रहालय, में विस्तारित अवधि में अन्य संग्रहालय विभागों एवं अन्य संस्थाओं दोनों ही के सहयोगियों की सहभागिता से संरक्षण अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आयोजित करता है। नयी चुनौतियों और उनके समाधान हेतु संग्रहालयों, संरक्षकों एवं वैज्ञानिकों के सम्मिलित प्रयासों वाले अंतः विषय अध्ययन शुरू किए जाते है।

भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय तथा एशियाटिक सोसायटी ने कोई अनुसंधान कार्य शुरू नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, वि.मो.हॉ. ने केवल संरक्षण अनुसंधान⁴⁷ किया और वैज्ञानिक अनुसंधान⁴⁸ शुरू नहीं किया था।

हमने पाया कि भारतीय संग्रहालय वि.मे.हॉ. तथा एशियाटिक सोसायटी के पास वैज्ञानिक संरक्षण के अनुसंधान एवं विकास हेतु कोई परिष्कृत साधन एवं प्रौद्योगिकी नहीं थी। संग्रहालय में संरक्षण/नवीकरण के क्षेत्र में प्रचलित तकनीकों/प्रक्रियाओं पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

6.10 कलाकृतियों के अंकरूपण एवं प्रलेखन

6.10.1 भा.पु.सं. में प्रलेखन की स्थिति

भा.पु.स. में, 1947 के पूर्व देश से बाहर ले जाए गए पुरावस्तुओं का कोई प्रलेखन नहीं था और इसलिए ऐसे पुरावशेषों की पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त, हमने

⁴⁷ संरक्षण अनुसंधान में कलाकृतियों अथवा जिनसे वह निर्मित है उन सामग्रियों के क्षय या एक पार्श्वता का अध्ययन सम्मिलित है।

⁴⁸ वैज्ञानिक अनुसंधान निर्माण प्रौद्योगिकी और संग्रह की वस्तुओं के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

पु.ब.कला. अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन के पूर्व देश से बाहर ले जाये गये कला वस्तुओं के कई मामले देखे थे जिन्हें प्रलेखन के अभाव में पूनः प्राप्त नहीं किया जा सका था।

विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन में स्टेन संग्रह के उधार पर दिये गये पुरावस्तु

औरल स्टेन का संग्रह शायद मध्य एशिया कला का सबसे बड़ा संग्रह है जिसमें चीनी, तिब्बती तथा तंगुट पाण्डुलिपियां, चित्र, कपड़ों के टुकड़े, चीनी मिट्टी, बौद्ध कला वस्तुएं, प्राकृत लकड़ी के तख्ते, हजारों अन्य कला वस्तुएं एवं दस्तावेज शामिल है। अभी यह संग्रह भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता तथा श्रीनगर संग्रहालय में मौजूद है। इस संग्रह की 700 वस्तुओं को भा.पु.स. द्वारा 1923 और 1933 के मध्य में वि. एवं. अ. संग्रहालय, यू.कं. को उधार पर दिया गया था। अभिलेखों के अनुसार, ये पुरावशेष अभी भी "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्वामित्म में" तथा उधार पर दी गयी थीं। हालांकि, हमें भा.पु.स. द्वारा उनकी पुनः प्राप्ति के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे।

नज़राना सोने के सिक्के

हैदराबाद राज्य के विलय के बाद, हैदराबाद के निजाम और भारतीय संघ के मध्य 1950 में हुए एक अनुबंध के अंतर्गत निजाम को व्यक्तिगत उपयोग हेतु कुछ गहने और ऐसी अन्य वस्तुओं को अपने पास रखने की अनुमित दी गयी थी। भूतपूर्व निजाम से सम्बद्ध दो विशालकाय "नज़राना सोने के मोहर सिक्कों" को उसके उत्तराधिकारी द्वारा अवैध रूप से हथिया लिया गया और 1988 में जिनेवा के इण्डो-स्विज बैंक में 60 लाख अमेरीकी डॉलर के ऋण के लिए प्रतिभू के रूप में गिरवी रख दिया गया था। ये निजाम को अपने पास रखने की अनुमित वाली वस्तुओं की सूची में नहीं दिखाये गये थे और न ही श्री मुकाराम जाह द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में उनके राज्यारोहण के समय ही उनकी घोषणा की गयी थी। सिक्कों के स्वामित्व पर समुचित प्रलेखन के अभाव में, भा.पु.स. सिक्कों की क्षित-पूर्ति नहीं प्राप्त कर सका। सिक्के अभी इण्डो-स्विज बैंक जिनेवा के अधिकार में हैं।

भा.पु.स. ने बताया (अक्तूबर 2012) कि अधिनियम के लागू होने के पहले जिन वस्तुओं को देश के बाहर ले जाया गया था उनकी क्षति-पूर्ति इसके नियंत्रण में नहीं थी। इसलिए उनकी क्षति-पूर्ति के लिए उन्हें अन्य देशों के सद्भाव पर निर्भर रहना पड़ रहा था।

6.10.2 पुरावस्तुओं के डाटाबेस का अभाव

भा.पु.स. मूर्तिकला शेडों, परिमण्डलों, भण्डारों, उत्खनन शाखाओं तथा 44 कार्य-स्थल संग्रहालयों में पुरावशेषों का संकलन और भण्डारण कर रहा था।

हमने देखा कि संरक्षित स्मारकों के मामले में, भा.पु.स. अपने पास मौजूद पुरावशेषों की संख्या से अनभिज्ञ था क्योंकि भा.पु.स. द्वारा पुरावशेषों की कोई डेटावेस या वस्तु सूची नहीं बनायी गयी थी। भा.पु.स. मुख्यालय की पुरावशेष शाखा के पास पुरावशेषों की शाखा वार सूची उपलब्ध नहीं थीं। किसी केन्द्रीकृत सूचना के अभाव में, पुरावशेषों के गुम होने की बड़ी संभावना थी। मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि पुरावशेषों का केन्द्रीकृत डाटा, डिजिटलीकरण प्रक्रिया के बाद ही हो बन सकती है जिस पर काम चल रहा है।

अनुशंसा 6.7: भा. पु. स. को विभिन्न स्थानों पर संचित पुरावशेषों के सभी विवरण के प्रलेखन हेतु पुरावशेषों का एक केन्द्रीकृत और डिजिटलीकृत डाटाबेस विकसित करना चाहिए।

6.10.3 संग्रहालयों में प्रलेखन की स्थिति

हमने संग्रहालयों में कला वस्तुओं का निम्नस्तरीय प्रलेखन और डिजिटलीकरण देखा जो उन्हें गुम/चोरी के प्रति सुभेद्य बना रहा है।

हमने पाया कि **राष्ट्रीय संग्रहालय** की फोटोग्राफी इकाई को प्रत्येक कला वस्तुओं की तस्वीरें रखनी थीं। तथापि, संग्रहालय के पास कला वस्तुओं के रूप में प्रलेखित 205981 वस्तुओं में से 175409 व्स्तुओं की तस्वीरें थीं।

205981 कलाकृतियों में से, संग्रहालय ने केवल 2769 पाण्डुलिपियों और 2089 (एए वर्ग⁴⁹) वस्तुओं को डिजिटलीकृत किया था।

ए.सो.को. के पास कई दुर्लभ प्राचीन तथा समसामयिक पाण्डुलिपियां थीं परंतु 50543 पाण्डुलिपियों में केवल 2467 पाण्डुलिपियों को मार्च 2012 तक डिजिटलीकृत किया गया था।

6.10.4 संग्रहालयों द्वारा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सूचित की गयी बाधाएं

- एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटलीकरण के कार्य को 2009 में यह कहकर रोक दिया था कि पुस्तकें डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त हो गयी थीं।
- सालार जंग संग्रहालय ने बताया कि रंगीन स्कैनर की अनुपलब्धता के कारण केवल 4.15 प्रतिशत कला वस्तुओं, 59 प्रतिशत पुस्तकालय की पुस्तकों और 5 प्रतिशत पाण्डुलिपियों को ही अगस्त 2012 तक डिजिटलीकृत करने में ही वह सक्षम था।

_

⁴⁹ कलाकृतियों की दुर्लभतम सर्वश्रेष्ट कृतियां, अपने तरह की अकेली, नाजुक होने के कारण परिवहन योग्य नहीं आदि और सी डी प्रारूप में डिजिटलीकृत।

- भारतीय संग्रहालय ने कला वस्तुओं के डिजिटलीकरण हेतु काई नीति/प्रक्रिया नहीं अपनायी थी। संग्रहालय के पास इस गतिविधि को पूरा करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी।
- विक्टोरिया मेमोरियल हाल में 28394 वस्तुओं में से 23415 वस्तुओं का आंतरिक फोटो-प्रलेखन तथा डिजिटलीकरण पूर्ण हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस सॉफ्टवेयर आभासी संग्रहालय निर्माता जतन, जिसे तस्वीरों सहित वस्तुओं के विवरण को ऑनलाइन प्रदर्शित करने के लिए संस्थापित किया गया था, डाटाबेस में तस्वीरें कैंद करने में सक्षम नहीं था। जनवरी 2013 तक तस्वीरों के बगैर ही 11368 वस्तुओं की प्रविष्टि की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नालंदा (पटना परिमण्डल), बोधगया (पटना परिमण्डल), लोथल (बड़ोदरा परिमंडल), हलेबिदु (बेंगलुरू परिमण्डल), हम्पी (बैगलूरू परिमंडल) तथा खजुराहो (भोपाल परिमण्डल) के संग्रहालयों को छोड़कर यह कार्य और कहीं पूरा नहीं हुआ था।

किला संग्रहालय (चैन्नई परिमण्डल) में, परिग्रहण रजिस्टर के अनुसार 3661 वास्तविक रूप से उपलब्ध पुरावशेषों के प्रति 4111 पुरावशेष पंजीकृत थे।

भा.पु.स. ने (दिसम्बर 2012), सहमत होते हुए बताया कि विस्तृत प्रलेखन का अभाव था जिसके लिए आवश्यक कदम उठाये गये थे।

6.11 चोरी एवं जब्त पुरावस्तु

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षणों के दौरान हमने पाया कि 1981 से 2012 तक स्थल संग्रहालय से 37 पुरावशेष एवं स्मारकों/स्थलों से 131 पुरावशेष चोरी हो गए थे। हमने यह भी पाया कि पटना परिमंडल से एक गरूड़ की प्रतिमा और दो बुद्ध प्रतिमा 2005 से अरिया पुलिस स्टेशन के पास पड़े हुए थे। इस प्रकार भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली के चार पुरावशेष दिरियागंज पुलिस स्टेशन के पास 1989 से पड़े थे।

भा.पु.स. ने सूचित किया कि सभी लापता पुरावशेषों हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुरावस्तुओं की चोरी की रिपोर्ट के पश्चात् तुरंत सभी अभिकरणों, सीमा-शुल्क निकास चैनल तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो-इंटरपोल को छानबीन नोटिस जारी कर दिए गए थे। हालांकि, हमने पाया कि इस स्थिति में, दुनियाभर में संगठनों ने इस क्षेत्र के विद्वानों को सूचित करने एवं नीलामी घरों और व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से चोरी हुई वस्तुओं की तस्वीरें भेजने, अंतर्राष्ट्रीय कला हानि रिजस्ट्री में चोरी के बारे में सूचना की जानकारी भेजने, वेबसाइट पर ऐसी चोरी का समाचार पोस्ट करने, अंतर्राष्ट्रीय नीलामी घरों की सूची की जांच समेत कई और प्रभावी कदम उठाए थे।

हमने पाया कि भा.पु.स. ने सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नीलामी घरों जैसे सोथबी, क्रीस्टी आदि पर बिक्री के लिए लगाए गए भारतीय पुरावस्तुओं में कभी भी भागीदारी नहीं की या सूचना एकत्रित नहीं की क्योंकि पु.क.को. अधिनियम, 1972 में ऐसा करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। हमने राष्ट्रीय महत्व के पुरावस्तुओं को विदेशों में बेचे जाने एवं प्रदर्शित किए जाने के विभिन्न उदाहरण पाए। (राजा भोज से संबंधित सरस्वती की मूर्ति, ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में है)।

कई देशों ने अपने खजाने को वसूल करने के लिए जोर शोर से अभियान की शुरूआत कर दी थी। इस संदर्भ में इटली, ग्रीस, चीन आदि ने पहलें की थीं। मंत्रालय के पास इस प्रकार के अतिसक्रिय कार्रवाई के लिए कोई कार्यनीति नहीं थी।

अपनी जिम्मेदारियों के अंश के रूप में, चोरी किए गए या अवैध रूप से निर्यात किए कला वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए भा.पु.सं. भी एक नोडल अभिकरण था। 1976 से 2001 तक, भा.पु.स. द्वारा विदेश से या तो कानूनी तरीके से, क्षतिपूर्ति अनुबंध, स्वैच्छिक अनुबंध द्वारा या फिर मामले के निपटान के बगैर के माध्यम से पुनः प्राप्त किए। लेकिन 2001 के बाद भा.पु.सं. इस तरह की किसी भी सफलता को हासिल करने में असमर्थ था।

अनुशंसा 6.8: चुराए गए या अवैध रूप से अन्य देशों को निर्यात की गई भारतीय कला वस्तुओं की पुनः प्राप्ति हेतु अधिक ठोस दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु नोडल अभिकरण के रूप में भा.पु.स. को अपने प्रयासों में अधिक सक्रिय एवं सतर्क होने की आवश्यकता है तथा मंत्रालय को इस के लिए सिक्रय कार्यनीति विकसित करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने (मई 2013) बताया कि जब भी कोई पुरावशेष विदेश में पहुँच जाती है तब भा.पु.सं. उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है।

6.11.1 जब्त पुरावस्तुओं से जुड़े न्यायालयी मामले

भा.पु.स. में यह शक्ति निहित थी कि वह अपना मत दे सके कि क्या जब्त पुरावशेष प्रामाणिक है। हमने पाया कि इस कार्य में विलंब एवं अपर्याप्तताएं थीं।

i. जून 1994 में, एक आस्ट्रेलियन नागरिक, डॉ.वी.जे.ए. फ्लीन, को दिल्ली में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्राचीन सिक्कों के साथ पकड़ा गया था। भा.पु.स. द्वारा फोटोग्राफी में अत्यधिक विलंब के कारण, 18 वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी मामला उप-न्यायाधीन था। भा.पु.स. डॉ. फ्लीन द्वारा अमेरिकी डॉलर \$11,00,000 की क्षति का दावा करते हुए एक मानहानि मामले का भी सामना कर रहा था। भा.पु.स. ने बताया कि (अक्तूबर 2012) विलंब "प्रक्रियात्मक" था।

ii. नवम्बर 2010 में, भा.पु.सं. दिल्ली परिमंडल ने, आई.टी.सी. शेराटन होटल, नई दिल्ली में हो रही नीलामी की आकस्मिक जांच की और नीलामी हेतु लाए गए राजा रवि वर्मा के चार चित्रों को पुरावस्तु घोषित किया। 1979 में राजपत्र अधिसूचना द्वारा पु.ब.कला. अधिनियम, 1972 के अंतर्गत इन चित्रों को कलाकृतियां घोषित किया गया था। राजा रवि वर्मा के वंशज द्वारा इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया था। न्यायालय ने चित्रों के पंजीकरण के बारे में सूचना मांगी, जिसे भा.पु.स. न्यायालय को प्रदान करने में विफल हुआ।

दिसम्बर 2012 में भा.पु.स. को अभी तक यह निर्णय लेना था कि क्या यह राजा रवि वर्मा का मूल कार्य है और कलाकृतियों को पुरावशेष के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

6.12 पुरावस्तुओं का निर्यात एवं विदेश में प्रदर्शनियों हेतु उनका स्थानांतरण

6.12.1 गैर पुरावस्तु प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना

अधीक्षण पुरातत्विवद की अध्यक्षता में विशेषज्ञ सलाहकार समिति⁵¹ के माध्यम से निर्यात के लिए मान्य वस्तुओं को गैर पुरावशेष प्रमाणपत्रों को जारी किया जाता है। मा.नि.,भा.पु.स. की अध्यक्षता में अपीलीय समिति उन सभी आवेदनों पर निर्णय लेता है जो कि विशेषज्ञ सलाहकार समिति की कार्रवाई से विवाद में आते हैं।

हमने पाया कि भा.पु.स. परिमंडलों में निर्यात से पहले हेरा फेरी रोकने के लिए आवश्यक मुद्रांकन बिना ही, वस्तु के निरीक्षण मात्र के पश्चात् शुल्क रहित प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त भा.पु.स. ने इन प्रमाणपत्रों को प्रदान किए जाने के लिए किसी भी केन्द्रीकृत सूचना का अनुरक्षण नहीं किया था।

इन नियंत्रणों की अनुपस्थिति में, गैर-पुरावशेष प्रमाणपत्र को प्रदान किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया में गलत अभ्यास की पूरी संभावना थी।

2003 में "विशेषज्ञ समिति" द्वारा दो कला वस्तुएं पुरावशेषों के रूप में घोषित की गई थीं जिसे न्यायालय में जब चुनौती दी गई तब वस्तुओं की अन्य विशेषज्ञ समित द्वारा पुनः जांच की गई जिसमें निष्कर्ष दिया कि दो वस्तुओं में से केवल एक ही पुरावशेष था। इस मामले ने गैर

⁵⁰ कलाकृतियाँ का अर्थ है कि पुरावशेष न होते हुए भी कोई मानव कला का कार्य, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा उसके कलात्मक या सौदर्यात्मक मूल्य को देखते हुए अधिनियम के उद्देश्य से कलामूर्ति घोषित किया गया हो, बशर्ते जब तक रचयिता जीवित हो तब तक ऐसे किसी कार्य या कला के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकती है।

⁵¹ बाह्य विशेषज्ञों के साथ

पुरावशेष प्रमाणपत्र को प्रदान करने से पहले विस्तृत जांच शुरू किए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

6.12.2 भूटान में बौद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी

संस्कृति मंत्रालय की अनुमित के बिना ही भा.पु.स. ने विदेश में पुरावशेषों की प्रदर्शनी हेतु अस्थाई निर्यात की अनुज्ञा प्रदान कर दी। हमने पाया कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन करते हुए भा.पु.स. ने 2011 में भूटान को तीन बौद्ध अवशेष भेजे थे।

भा.पु.स. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि प्रस्ताव को अंर्तमंत्रालय समिति के समक्ष नहीं रखा गया था क्योंकि उनकी बैठक प्रस्ताव को प्राप्त करने से पूर्व ही हो गई थी।

6.12.3 कन्वेंशन पर हस्ताक्षर न करना

हमने पाया कि 1977 में भारत ने अवैध निर्यात तथा सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने एवं रोकने के साधन, आयात, पैरिस, 1970 के सम्मेलन का अनुसमर्थन किया। तत्पश्चात चुराई गई कला वस्तुओं की पुनः प्राप्ति के लिए कोई अन्य बहुपक्षीय या द्विपक्षीय साधन पर हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया गया था।

अनुशंसा 6.9: मंत्रालय को संगठन के स्वभित्व वाले पुरावशेषों के प्रबंधन हेतु एक व्यापक नीति बनानी चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि भा.पु.स. पुरावशेषों पर व्यापक नीति को बनाने की दिशा में कार्य करेगा ।

6.13 भा.पु.स. के स्थल संग्रहालय

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय समाज की सेवा और उसके विकास के लिए एक अलाभकारी स्थायी संस्थान है जो अध्ययन, शिक्षा एवं आनन्द के उद्देश्य से आम लोगों के लिए खुला है तथा लोगों के मूर्त एवं अमूर्त साक्ष्यों एवं उनके वातावरण का अधिग्रहण, संरक्षण, अनुसंधान, संचार एवं प्रदर्शनी करता है।

1904 में स्थापित सारनाथ संग्रहालय भारत का पहला संग्रहालय था।

स्थल संग्रहालयों में, क्षेत्र के विशिष्ट पुरातात्विक/ऐतिहासिक पदार्थ, स्थल के काफी निकट प्रदर्शित किए गए थे। यह अधिकतर स्मारक के भीतर या उत्खनित स्थलों के पास ही स्थित थे जबिक अन्य संग्रहालय अलग संस्था थे।

मार्च 2012 को, भा.पु.स. के पास 44 स्थल संग्रहालय थे। हमने स्थल संग्रहालयों की स्थापना विकास एवं अनुरक्षण,में निम्न कमियां पाईं।

6.13.1 स्थल संग्रहालयों को स्थापित करने हेतु मानदंड

महानिदेशक, भा.पु.स. के निदेशक (संग्रहालय) द्वारा स्थल संग्रहालयों का प्रबंध देखा जाता है। हमने पाया कि 1960, 1977, 1998, 2010, 2012 में वृद्धि और विकास के लिए स्थल संग्रहालयों के पुनर्संगठन के प्रयास किये गये। पुरातात्विक अधिकारी (स.अ.पु. या उससे उच्च) से निरीक्षण कराकर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार भा.पु.स. स्थल संग्रहालय स्थापित किए गए थे। अन्य कोई दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं थे। वास्तविक स्थिति को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया कि अगले कुछ वर्षों में भा.पु.स. को अपने स्थल संग्रहालयों की कार्यपद्धित एवं स्थापना के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य योजना एवं नीति बनाने की जरूरत है।

अनुशंसा 6.10: भा. पु. स. को स्थल संग्रहालयों कार्य प्रणाली एवं स्थापना हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों को विकसित करने की आवश्यकता है।

6.13.2 नए स्थल संग्रहालयों की स्थापना

- i. 2006 के बाद कोई नया स्थल संग्रहालय नहीं खोला गया था और नए स्थल संग्रहालय को खोलने के लिए कोई कार्य योजना/लक्ष्य भी नहीं था। नए स्थल संग्रहालयों को नहीं खोलने के लिए निधियों एवं मानव संसाधन की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया (दिसम्बर 2012)। पुरातत्विक संग्रहालय, धोलावीरा, गुजरात आखिरी संग्रहालय का जिसे 2006 में संसदीय आश्वासन के पश्चात खोला गया था। हालांकि, उत्खिनत पुरावशेष अभी तक संग्रहालय को सौंपे नहीं गए थे (दिसम्बर 2012) जिससे संग्रहालय को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य को निष्फल कर दिया। भा.पु.स. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि धोलावीरा उत्खनन की रिपोर्ट लेखन प्रगित में थी तथा प्रतिवेदन के पूरा होने के पश्चात् ही चयनित पुरावस्तु संग्रहालय में स्थानांतरित किए जा सकते थे। हालांकि, उत्तर में कोई समयसीमा नहीं दर्शाई गई थी।
- ii. पुरावशेष एवं संग्रहालय हेतु के.स.पु.बो. की उप-सिमित ने चंद्रकेतुगढ़ (पश्चिम बंगाल), राखीगढ़ी (हरियाणा), बनावली (हरियाणा), देवघर (म.प्र.), पाटन (गुजरात) जैसे विभिन्न स्थानों पर पुरातात्विक वस्तुओं के मूल्यवान संग्रह वाले स्थल संग्रहालय खोलने की अनुशंसा की। हालांकि, दिसम्बर 2012 तक प्रगति सूचक कोई सूचना नहीं थी।
- iii. पीपरवाह (उ.प्र.) और शिवपुरी (म.प्र.) में स्थल संग्रहालय खोलने का प्रस्ताव 2009 से प्रक्रियाधीन था लेकिन स्थल संग्रहालय अभी तक खोले नहीं गए थे। भा.पु.स. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि राज्य सरकारों ने जल ठहराव वाले निचले स्तर के क्षेत्र में भवनों का

निर्माण किया था तथा उन भवनों में मूल्यवान पुरावशेषों के स्थानांतरण में यही मुख्य बाधा थी। इस विषय पर उपचारी कार्रवाई हेत् राज्य सरकारों से बातचीत की गई थी।

- iv. लिलतिगरी, ओड़ीसा का एकमात्र ऐसा स्थल था जिसमें 1985 से 1992 तक संचालित उत्खननों में चार-तह वाले ताबूत में बौद्ध अवशेष पाए गए थे। 2007 में भा.पु.स. ने बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए लिलतिगरी में स्थल संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। तथापित, स्थल संग्रहालय अभी बनाया जाना था (दिसम्बर 2012) तथा भवन योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना था।
- v. असम विधानसभा के अध्यक्ष ने 1998 में बमुनी पहाड़ी पर मेसनरी अवशेषों के स्थल के दौरे के दौरान, स्थल के निकट अपरिष्कृत भवन में स्थल संग्रहालय को स्थापित करने का सुझाव दिया। हमने पाया कि फरवरी 2001 से 2003 के दौरान भूमि एवं भवन के अधिग्रहण के प्रति ₹ 33.11 लाख का भुगतान किया गया था तथा 2007-08 से 2011-12 के दौरान भवन के विकास हेतु ₹ 29.13 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। हालांकि, स्थल संग्रहालय अभी तक स्थापित नहीं हुआ था।
- vi. जुलाई 2000 में, फतेहपुर सिकरी में एक स्थल संग्रहालय को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ₹ 63.24 लाख का व्यय करने के बावजूद स्थल संग्रहालय नहीं खोला गया था (दिसम्बर 2012)।
- vii. लखनऊ परिमण्डल में, एक स्थल संग्रहालय को स्थापित करने के लिए 2002-03 में ₹ 4.91 लाख की लागत पर एक बड़े कमरे का निर्माण किया गया था लेकिन आज तक इसे स्थापित नहीं किया जा सका था (नवम्बर 2012)।

6.13.3 मूर्तिकला शेड को स्थल संग्रहालय में परिवर्तित करने में विफलता

उत्खिनत स्थल के सान्निध्य में पुरावशेषों को रखने के प्रयोजन स्थल संग्रहालयों का सृजन किया जाता है ताकि पुरातात्विक संदर्भ को बनाए रखा जा सके।

2009 में केन्द्रीय पुरातात्विक सलाहकारी बोर्ड की उप समिति ने 35 से अधिक मूर्तिकला एवं शेडों⁵² तथा मूल्यवान पुरावशेषों वाले 38 अन्य स्थलों को स्थल संग्रहालयों में बदलने की अनुशंसा की। इस संदर्भ में हमने कोई प्रगति नहीं पाई।

स्थल दौरों के दौरान हमने मूर्तिकला शेडों की कम-उपयोगिता के मामले पाए क्योंकि पुरावस्तु उनमें नहीं रखे गए थे इस प्रकार मूर्तिकला शेडों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

-

⁵² मूर्तिकला शेंड एक ऐसी जगह है जहाँ स्थल तथा आसपास के क्षेत्र से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों को एक शेंड के नीचे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है।

हमने पाया कि पुरावस्तु स्थल/परिमंडल/मूर्तिकला शेडों में बिखरे हुए थे तथा भा.पु.स. स्थल संग्रहालयों का विकास करने में विफल रहा जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

i) वर्ष 2003-04 में कोलकाता परिमंडल में सिक्किम के रबदंतसे स्थल में एक मूर्तिकला शेड का निर्माण रबदंतसे स्थल से पाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी की दृष्टि से किया गया था। मूर्तिकला शेड के प्रदर्शनी क्षेत्र को बढ़ाने एवं उसके सुदृढ़ीकरण हेतु 2009-10 में ₹ 8.31 लाख का व्यय भी किया गया था। हालांकि स्थल दौरों के दौरान हमने पाया कि मूर्तिकला शेड के दीवार पर लगाए गए 12 शीशे के डिब्बे खाली थे तथा केवल 69 मूर्तिकला एवं 48 अन्य वस्तुएं, शेड में बिना किसी प्राप्ति संख्या के ही प्रदर्शित किए गए थे। रबदंतसे स्थल से पाए गए कुछ पुरावस्तु, भा.पु.स. के कार्यालय, सिक्किम उप-परिमंडल, गीज़ींग में परिग्रहण के बिना ही प्लास्टिक की थैली में पड़े थे।



रबदंतसे स्थल, कोलकाता परिमंडल में मूर्तिकला शेड में शीशे के डिब्बे तथा नीचे रखे गए पुरावस्तु

बानगढ़, पश्चिम बंगाल में खाली मूर्तिकला शेड

2009-10 में बानगढ़ स्थल में रू 5.71 लाख की लागत से एक मूर्तिकला शेड का निर्माण किया गया था। तथापि, यह अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। क्योंकि निकट के गांव से पाई गई एक पत्थर की मूर्तिकला, दो लकड़ी के टुकड़े तथा बानगठ उत्खनन से पाए गए कुछ टेराकोटा टाइल्स जो बिना परिग्रहसण⁵³ के इस मूर्तिकला शेड में रखे गए था। बानगढ़ उत्खनन से पाए गए 1246 पुरावस्तुओं में से शेष मद, परिमंडल कार्यालय, कोलकाता में रखे हए थे।

अनुशंसा 6.11: भा. पु. स. को उपरोक्त मूर्तिकला शेडों के उपयोग तथा स्थलों पर संग्रहालय को विकसित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

⁵³ निर्धारित प्रारूप में पुरावस्तुओं का प्रलेखन

6.13.4 पुरावस्तुओं की स्थिति

भा.पु.स. से, एक विशेष संस्कृति, सामाजिक आर्थिक इतिहास की पहचान हेतु सभी प्रकार की कला एवं संस्कृति एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रसार, किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, हमने पाया कि पुरावशेषों को परिमण्डल कार्यालयों, उत्खनन शाखाओं, स्मारकों/स्थलों में रखा गया था जैसा कि नीचे दिया गया है। यह अवशेष उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए थे:

तालिका 6.4 पुरावशेषों की स्थिति

क्र.सं.	स्थान जहाँ रखे गए थे	पुरावशेषों की संख्या
1.	चेन्नई परिमण्डल कार्यालय	अधीचनाल्लूर, सिरूथवुर एवं मल्लयादीपती में संचालित उत्खनन से बरामद किए गए 395 पुरावशेष।
2.	भोपाल परिमण्डल का भंडार कक्ष	भोपाल परिमण्डल (बुरहानपुर, जबलपुर, रायसेन, रेवा, सागर एवं साँची) के 6 उप-परिमंडलों में 3486 पुरावशेष भंडार में पड़े थे।
3.		स्मारक स्थल के 10265 पुरावशेषों तथा उत्खनित स्थल के 2881 पुरावशेषों का भंडार कक्षों में ढेर लगा था।
4.	उत्खनन शाखा, नागपुर	2007-09 से 2011-12 के दौरान उत्खनन में मिले 2949 पुरावशेष भंडार में रखे हुए थे।
5.	बड़ोदरा परिमण्डल	2000 से उप्रर सूचीबद्ध नहीं किए गए पुरावशेषों का चार अलमारियों में ढेर लगा था। दीव किले, दीव के भंडार में 228 लोहे के तोप के गोलों का ढेर लगा हुआ था। 2160 तोप के गोले (किले को छोड़ते समय पुर्तगालियों द्वारा छोड़ दी गई थी) परिसर/बगीचा क्षेत्र में बिखरे पड़े थे। इन्हें सूचीबद्ध भी नहीं किया गया था। बड़ोदरा परिमण्डल के उप परिमंडल कार्यालय (पाटन) के एक भंडार कक्ष में 100 से अधिक मूर्तिकलाएं रखी हुई थी। उप परिमण्डल, पाटन के निकट एक शेड में 300 मूर्तिकलाएं रखी हुई थीं।
6.	ओड़ीसा परिमण्डल	उत्खनन शाखा द्वारा भंडार कक्ष में 5915 पुरावशेष रखे गए थे।

7.	श्रीनगर परिमण्डल	पिछले एक से 42 वर्षों से कार्यालय परिसर में 2724 कलाकृतियों का ढेर पड़ा था। परिमण्डल में कोई स्थल संग्रहालय नहीं था। फतेहगढ़ के प्राचीन मंदिर से संबंधित मूर्ति, जिसे जमीन से खोदकर निकाला गया था, को किराए के निजी कक्ष में रखा गया था।
8.	चंडीगढ़ परिमंडल	1028 पुरावशेष एवं 70 चांदी के सिक्कों का कार्यालय परिसर में ढेर लगा था।
9.	पटना परिमण्डल	1978 एवं 1989 के उत्खनन में पाए गए 973 पुरावशेषों का पटना परिमंडल कार्यालय में ढेर लगा था।
10.	जयपुर परिमण्डल	16 रमारकों में (ब्यौरा अनुबंध 6.3 में) पुराने नक्काशी वाले पत्थर, स्तंभ, मूर्तियां, प्रतिमाओं जैसे पुरावशेष बिखरे हुए थे।
11.	हैदराबाद परिमण्डल	अलिखित एवं अबंद्ध प्रतिमाएं स्मारकों में पड़े थे।
12.	बेंगलुरू परिमण्डल	उत्खनित मूर्तियां एवं पुरावशेष होयसलेश्वारा मंदिर, हलेबीडु के सामने के उत्खनित स्थल तथा होयसलेष्वार मंदिर परिसर में बिखरे हुए मिले थे। इन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

इस प्रकार, भा.पु.स. विभिन्न मामलों में स्थल संग्रहालयों एवं मूर्तिकला शेडों को विकसित करने में विफल हुई थी।

अनुशंसा 6.12: भा.पु.स. को विभिन्न स्थलों/भंडार/परिमण्डलों/उप-परिमण्डलों में रखे हुए पुरावस्तुओं का भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता है ताकि वह यह सुनिश्चित किया जा सकें कि प्रत्येक उचित रूप से दर्ज, क्रमांकित, तथा अभिलिखित है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि मौजूदा परिग्रहण पंजिका के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा रहा था।

6.13.5 चौदह बिन्दुओं वाले सुधार एवं स्थल संग्रहालयों का अद्यतनीकरण

संस्कृति मंत्रालय ने सुरक्षा, जन जागरूकता, आगंतुक सुविधा के अद्यतनीकरण तथा सभी स्थल संग्रहालयों के आधुनिकीकरण हेतु अक्तूबर 2009 में 14 बिन्दुओं वाले संग्रहालय सुधार/दिशानिर्देश जारी किए थे। हालांकि, इन्हें सभी 44 स्थल संग्रहालयों में पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि मंत्रालय इन सुधारों के क्रियान्वयन को मॉनीटर कर रहा था तथा विभिन्न संग्रहालयों के सभी प्रभारी अधिकारियों को संग्रहालय सुधारों को मूलभाव में क्रियान्वित करने के लिए निर्देश जारी किए थे। तथ्य यही है कि कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

6.14 कला वस्तुओं का प्रदर्शन एवं अनुरक्षण

6.14.1 आवर्तन नीति

संग्रहालय में प्रदर्शित कला वस्तुएं हमारे देश के समृद्ध एवं विविध धरोहर को प्रदर्शित करती हैं। जगह की कमी को देखते हुए, विश्व के सभी संग्रहालयों ने वस्तुओं के प्रदर्शनी के आवधिक आवर्तन हेतु नीति बनाई है। हमने पाया कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित संग्रहालयों में कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए आवर्तन नीति को विकसित नहीं किया है। संग्रहालयों के प्रदर्शन विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 6.5 कलाकृतियों के रिजर्व एवं प्रदर्शन का विवरण

अनुभाग का नाम	आज तक प्राप्त की गई वस्तुओं की संख्या	प्रदर्शित वस्तुओं की संख्या	रिजर्व में वस्तुओं की संख्या	रिजर्व में कुल वस्तुओं की प्रतिशतता
राष्ट्रीय संग्रहालय	205981	7333	198252	96.24
भारतीय संग्रहालय	107308	1862	105446	98.26
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	33493	1625	31768	95.13
एशियाटिक सोसायटी	54655	79	54576	99.85

यह स्पष्ट था कि उपर्युक्त संग्रहालयों में रिजर्व में 95 प्रतिशत से अधिक वस्तुएं पड़ी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप कला वस्तुओं की बड़ी संख्या का प्रदर्शन नहीं हुआ तथा संग्रहालय अपने मूल्यवान पुरावस्तुओं को प्रदर्शित नहीं कर पाए थे।

6.14.2 स्थल संग्रहालय

हमने पाया कि किसी भी स्थल संग्रहालय में रिजर्व पुरावस्तुओं को जनता को दिखाने हेतु सुगम बनाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए कोई भी आवर्तन नीति नहीं थी। 11 स्थल संग्रहालयों में⁵⁴ 90 प्रतिशत से अधिक पुरावशेषों को रिजर्व में रखा गया था। भा.पु.स. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि स्थल संग्रहालयों में कोई एकीकृत नीति दस्तावेज नहीं था।

6.14.3 विभिन्न संग्रहालयों की दीर्घाओं की स्थिति

हमने पाया कि किसी न किसी कारणवश जैसे की दीर्घा के नवीकरण, रिसाव आदि के कारण सभी दीर्घाएं जनता के लिए नहीं खुली थी। जनता के लिए बंद दीर्घाएं निम्न थीः

तालिका 6.6 बंद दीर्घाओं की स्थिति

संग्रहालय का नाम	दीर्घाओं की कुल संख्या	बंद दीर्घाओं की संख्या	टिप्पणी
राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली	26	7	एक से लेकर नौ वर्षों की अवधि
भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	29	8	21 खुली दीर्घाओं में से, आठ दीर्घाओं में 2 से लेकर 23 वर्षों तक की अवधि के दौरान आवर्तन नहीं किया गया था।
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता	12	2	सात दीर्घाओं में, शुरूआत से ही कलाकृतियों को बदला नहीं गया था।

⁵⁴ कोंदापुर एवं नागार्जुनकोंडा (हैदराबाद परिमण्डल), नालंदा एवं सारनाथ (पटना परिमण्डल), लाल किला (दिल्ली परिमण्डल), शेख चिल्ली मकबरा (चण्डीगढ़ परिमण्डल), टिपू सुल्तान संग्रहालय (बेंगलुरू परिमण्डल), खजुराहो एवं सांची (भोपाल परिमण्डल), रत्नागिरी (भुवनेश्वर परिमण्डल) तथा कालीबंगन (जयपुर परिमण्डल)

6.14.4 विभिन्न संग्रहालयों में कलावस्तुओं के भंडारण की स्थिति निम्न तस्वीरों में दर्शाई गई है:



अन्य मदों के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय के तहखाने में पड़ी हुई वस्तुएं



राष्ट्रीय संग्रहालय के तहखाने में अनमोल प्रतिमाओं पर जमी हुई धूल





विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के भंडार कक्ष

बेनीसागर स्थल, रांची में हमने पुरावशेषों को स्टाफ क्वाटर्स में रखा हुआ पाया।



बेनीसागर के स्टाफ क्वाटर्स में पाए गए पुरावशेष

6.14.5 भा.पु.स. का डाटा बैंक तथा के.पु.सं., स्थल संग्रहालयों में रिजर्व मदों की स्थिति/पुरावशेषों का भंडारण

कलाकृतियों को क्षय से बचाने हेतु पर्याप्त हवा परिसंचरण तथा प्रभावी वातानुकूलन वाली उचित भंडारण की सुविधाएं आवश्यक है। हमने पाया कि रोपड़ संग्रहालय (पंजाब परिमण्डल) तथा किला संग्रहालय (चेन्नई परिमण्डल) के रिजर्व संग्रहण उचित स्थिति में संग्रहित नहीं था। अयहोल संग्रहालय (धारवाड़ परिमण्डल), चंदेरी संग्रहालय (भोपाल परिमण्डल), सारनाथ (पटना परिमण्डल) एवं नालंदा संग्रहालय (पटना परिमण्डल) में मूर्तियां पिछले आंगन में पड़ी थीं।

केन्द्रीय पुरावशेष संग्रहण (के.पु.सं.) में, पुरावशेषों हेतु वातानुकूलित परिवेश अनुरक्षित करने की कोई सुविधा नहीं थी। हमने पुराना किला, दिल्ली, के विभिन्न प्रकोष्ठों में भण्डारित कलाकृतियों के क्षय को बढ़ाने वाली रिसन एवं सिलन, उतरते हुए प्लास्टर की समस्याएं पाईं।


जून 2012 में लेखापरीक्षा द्वारा डाटा बैंक के प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान, हमने पाया कि पुराना किला से लाल किला में स्थानांतरित करते हुए, डाटा बैंक के मूल्यवान अभिलेखों (मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र) वाली 120 में से 60 पेटिकाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उचित जगह की अनुपस्थिति में, दीर्घा में 66 अन्य पेटिकाएं गर्मी, हवा और धूल के संपर्क में, खुली हुई रखी थीं जिससे अभिलेख खराब हो गए थे जो ठीक नहीं हो सकते थे। डाटा बैंक में अनुमानित रूप से 4.5 लाख अभिलेख थे परंतु राष्ट्रीय मिशन तथा स्मारक प्राधिकरण के डिजिटलीकरण के दौरान, केवल 3.5 लाख अभिलेख प्रस्तुत किए क्योंकि बािक के कृन्तकों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे।

6.15 प्रदर्शनियां एवं बीमा दावे

संग्रहालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने संग्रहण को प्रदर्शित करना था। अधिकतर संग्रहालयों द्वारा 'कम दिखाओ लेकिन सर्वोत्तम दिखाओ' का नारा अपनाया गया था ताकि सबसे अच्छी वस्तुएं प्रदर्शित की जा सके।

दिसम्बर 2009 में भारतीय संग्रहालय ने सिक्के की प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें ऐतिहासिक मूल्य के 101 सिक्कों को प्रदर्शित किया गया था। हमने पाया कि इनमें सम्राट अकबर की तस्वीर वाले दो सिक्के शामिल थे जो भौतिक सत्यापन समिति (फरवरी 2009) द्वारा नकली घोषित कर दिए गए थे। इस प्रकार भारतीय संग्रहालय का इन नकली सिक्कों को प्रदर्शित करने का कार्य अनुचित था।





नकली सिक्कों की तस्वीरें

6.15.1 विदेश में आयोजित प्रदर्शनियां

2011 के दौरान मंत्रालय ने चीन एवं कोरिया में प्रदर्शनियां आयोजित करने का निर्णय लिया जिसे बाद में किसी न किसी कारण से रद्द कर दिया गया था। मंत्रालय ने संबंधित सरकारों के साथ कोई अनुबंध नहीं किया था।

विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों हेतु, राष्ट्रीय संग्रहालय ने डिब्बों के परिवहन, पैकिंग, संभालने एवं विनिर्माण को संभालने के लिए 'ललित कला संभालने वाले एजेंट' (ल.क.सं.ए.) को नियुक्त किया था। विदेश में भेजी गई वस्तुएं बीमाकृत थीं। विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों के दौरान निम्न कलाकृतियां क्षतिग्रस्त/गुम पाई गई थीं:

- 2006 में कोरिया (बौद्ध कला प्रदर्शनी) को भेजे गए टियेरा में बुद्ध के हाथों से लघु बहुमूल्य पत्थर (₹50 लाख की बीमा कीमत) का गुम होना,
- पत्थर की मूर्ति के सीधे हाथ की उंगलियों पर खरोंच थी तथा नाखुन के सिरे का क्षय हो गया था।
- 2010 में ब्रुसेल्स (भारत में आने का मार्ग) की प्रदर्शनी में महिला शिकारी (₹12 करोड़ का बीमा मूल्य)।

हमने पाया कि संग्रहालय अनुबंध के अनुसार ल.क.सं.ए. से क्षितिपूर्ति वसूल करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहा। हमने यह भी पाया कि भविष्य की प्रदर्शनी का अनुबंध उसी अभिकरण को दिया जा रहा था जो कि कम्पनी के प्रति अनुचित पक्षपात को दर्शाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय ने बताया (सितम्बर 2012) कि भविष्य में सम्पन्न होने वाली प्रदर्शनियों में उचित ध्यान रखा जाएगा।

अनुशंसा 6.13: संग्रहालयों को कलाकृतियों की प्रदर्शनी हेतु आवर्तन नीति अपनानी चाहिए। उन्हें आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए उचित एवं आकर्षक प्रदर्शन पद्धित हेतु तंत्र बनाना चाहिए। अनुशंसा 6.14: रिजर्व संग्रहण को भी आदर्श स्थिति में उचित रूप से संरक्षित एवं अनुरक्षित रखा जाना चाहिए।

मंत्रालय ने अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2013)।

6.16 महानगरीय संग्रहालयों का आधुनिकीकरण

2004-05 में मंत्रालय ने चार महानगरीय शहरों में महानगरीय संग्रहालयों के आधुनिकीकरण हेतु योजना की शुरूआत की थी। योजना में राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय एवं छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय भी शामिल थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु भारतीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय संग्रहालय हेतु ₹100.00 करोड़ का परिव्यय चिन्हित किया गया था। संग्रहालयों से प्रतिष्ठित सलाहकारों की मदद से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। हालांकि आठ वर्षों से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं भारतीय संग्रहालय उसे प्रस्तुत करने में विफल हुआ।

मंत्रालय ने सितम्बर 2008 से जनवरी 2013 के बीच संग्रहालय को ₹15.43 करोड़ जारी किए थे। तथापि यह देखा गया था कि मंत्रालय ने संग्रहालय द्वारा किए गए कार्यों को उचित रूप से मॉनीटर नहीं किया। परियोजना के पूरा होने में विलंब अनुमानों में कई संशोधनों, परियोजना आदि पर किए गए वास्तविक व्यय से संबंधित सूचना की अनुपस्थिति आदि जैसी अनियमिताएं पाई गई।